हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियमए 1977

;1978 का 29द्ध

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के प्राधिकार से हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम 1981 की धारा 3 के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 21.8.93 में यथा प्रकाशित "दि हिमाचल प्रदेश भूदान योजना ऐक्टए 1977 ;1978 का 29द्ध का प्राधिकृत राजभाषा (हिन्दी) पाठ ।

हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1977

धाराओं या क्रम

धाराएं:

अध्याय—1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय—2

3. भूदान यज्ञ बोर्ड की स्थापना, निगमन और कर्तव्य ।
4. बोर्ड का गठन ।
5. बोर्ड का विघटन ।
6. बोर्ड में रिक्तियां ।
7. कार्यवाहियों की विधिमान्यता ।
8. अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति ।
9. अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें ।
10. बोर्ड की निधियां ।
11. निधियों का उपयोजन ।
12. तहसील समितियां ।

अध्याय—3

13. भूदान यज्ञ को भूमि का संदान ।
14. भूमि जिसका संदान नहीं किया जा सकेगा ।
15. इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व संदान की गई भूमि ।
16. घोषणा का अप्रति—संहरणीय होना ।
17. बोर्ड में निहित भूमि का कुर्की योग्य न होना ।

अध्याय—4

भूमि का वितरण

18. भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का अनुदान ।
19. भूदान यज्ञ के प्रयोजन के लिए अनुदान, अन्तरण और आबंटन ।

अध्याय—5

प्रकीर्ण

20. स्टाम्प—शुल्क और रजिस्ट्रीकरण से छूट ।
21. भू—राजस्व माफ करने की शक्ति ।
22. आबंटिती को बेदखल करने की शक्ति ।
23. नियम बनाने की शक्ति ।
24. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

25. विधिविरुद्ध कब्जा रखने वाले व्यक्तियों की बेदखली ।
26. धृतियों का विभाजन ।
27. संविदाएं करने की शक्ति ।
28. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।
29. प्रक्रिया ।
30. उप–विधियां बनाने की शक्ति ।
31. निरसन और व्यावृत्तियां ।

हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1977

(1978 का अधिनियम संख्यांक 29)'

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख, 21मार्च,1992, को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21 अगस्त, 1993, को पृष्ठ संख्या 1451 से 1462 पर प्रकाशित किया गया ।)

श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरम्भ किए गए भूदान यज्ञ के सम्बन्ध में क्रिया कलापों को सुकर बनाने, भूदान यज्ञ बोर्ड का गठन करने, उक्त बोर्ड की भूमि का संदान करने, संदान में प्राप्त भूमि का भूमिहीन व्यक्तियों में वितरण करने तथा उनका सामुदायिक प्रयोजनों और उपर्युकत मामलों से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अ्ठाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह एतद्द्वारा अधिनियमित किया जाता है :–

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1977 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न होः–

———————————————

1. चूँकि अधिनियम राजभाषा में 21 मार्च, 1992 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21 अगस्त 1993 को पृष्ठ संख्या 1451 से 1462 पर प्रकाशित किया गया। अधिनियम के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे ।

(क) "भूदान यज्ञ" से श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा बोर्ड के पक्ष में स्वैच्छिक दान के माध्यम से भूमि के अर्जन के लिए आरम्भ किया गया आन्दोलन अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन स्थापित भूदान यज्ञ बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "सामुदायिक प्रयोजन" से ऐसा प्रयोजन अभिप्रेत है जो साधारण तौर पर गांव के समुदाय की भलाई के लिए है ;

(घ) "भूमिहीन व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास कोई भूमि नहीं है या स्वामी, पट्टेदार अथवा अभिधारी की हैसियत में एक एकड़ से कम भूमि है ;

(ङ) "राजस्व अधिकारी" से हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन, नियुक्त किया गया राजस्व अधिकारी और ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन राजस्व अधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया. जाए ;

(च)"विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और

(छ) ऐसे अन्य सब शब्दों और पदों के जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु उसमें परिभाषित नहीं है, वे ही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश अभिघृति और भूमि सुधार अधिनियन, 1972 (1974 का 8) के अधीन क्रमशः उनके हैं ।

अध्याय–2

3. भूदान यज्ञ बोर्ड की स्थापना, निगमन और कर्तव्य.– (1) हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम से एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा ।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति को अर्जित और व्ययन करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

(3) बोर्ड का, भूदान यज्ञ के फायदे के लिए उसमें निहित समस्त भूमि को, इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रशासित करना, कर्तव्य होगा ।

4. बोर्ड का गठन.– (1) बोर्ड का गठन, अध्यक्ष और सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट चार या अधिक परन्तु आठ से अनधिक सदस्यों से होगा ।

(2) अध्यक्ष और सदस्यों के नामनिर्देशन या नियुक्ति को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य उप–धारा (2) के अधीन अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और पुनः नियुक्ति या पुनः नाम–निर्देशन के लिए पात्र होंगे :

परन्तु बोर्ड का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, किसी भी समय राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र लिखित रूप में प्रस्तुत करके पद त्याग सेकेगा, किन्तु ऐसा कोई त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक इसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता है :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जो राज्य सरकार की राय में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है या असमर्थ है, अथवा जिसने अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने पद का लोक हितों के लिए हानिकर रूप में दुरुपयोग किया है, पद से हटा सकेगी ।

(4) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों और कृत्यों का धारा 30 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय, किसी सदस्य या अपने में है से तीन या अधिक सदस्यों की उप समिति को, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

5. बोर्ड का विघटन.— (1) यदि राज्य सरकार का किसी समय समाधान हो जाता है कि ———

(क) बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित या समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन या कृत्यों का अनुपात करने में युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना असफल रहा है ;

(ख) ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि बोर्ड इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित या समनुदेशित कर्तव्यों के निर्वहन या कृत्यों का अनुपालन करने में असमर्थ हो गया है या असमर्थ हो जाएगा ; या

(ग) बोर्ड को विघटित करना अन्यथा समीचीन या आवश्यक है, तो यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,————

(i) बोर्ड को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विघटित कर सकेगी ;

(ii) इस अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड के पुनर्गठन का निदेश दे सकेगी ; और

(iii) घोषणा कर सकेगी कि उस अवधि के लिए जिसके लिए इसे विघटित किया गया है, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन, प्रयोग और अनुपालन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जैसे उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए ऐसे आनुषंगिक और पारिमाणिक उपबन्ध बना सकेगी जो इसे आवश्यक प्रतीत हों ।

6. बोर्ड में रिक्तियां.— बोर्ड में रिक्तियों को भरने का ढंग, उसके कार्यकरण और काम—काज के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाए ।

7. कार्यवाहियों की विधि—मान्यता.— इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही, बोर्ड में विद्यमान किसी रिक्ति या बोर्ड के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के नामनिर्देशन में किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण प्रश्नगत नहीं होगी ।

8. **अधिकारियों और कर्मचारियों नियुक्ति.**– बोर्ड, विहित रीति में, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जिन्हें वह उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक समझे ।

9. **अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें.**– बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं ।

10. **बोर्ड की निधि.**– बोर्ड की अपनी निधि होगी और वह केन्द्रीय, या राज्य सरकारों अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यष्टि अथवा व्यक्तियों के निकाय से, चाहे वह निगमित हो या नहीं, इस अधिनियम के सभी या उनमें से किन्हीं प्रयोजनों के लिए अनुदान, संदान, दान या ऋण स्वीकार कर सकेगा ।

11. **निधियों का उपयोजन.**– बोर्ड में निहित सभी सम्पत्ति, निधि और अन्य आस्तियां इस द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार धारित और उपयोजित की जाएगी ।

12. **तहसील समितियों.**– **(1)** बोर्ड, किसी तहसील के लिए जहां यह ऐसा करना आवश्यक समझे, बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए तीन से अन्यून और सात से अनधिक सदस्यों से गठित,तहसील समिति का गठन कर सकेगा ।

(2) तहसील समिति, किसी सदस्य या अपने तीन या अधिक सदस्यों की उप–समिति को, इस अधिनियम के अधीन, अपनी किन्हीं शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगी ।

अध्याय–3

13. **भूदान यज्ञ को भूमि का संदान.**– (1) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो भूमि में अन्तरणीय हित रखता हो, ऐसी भूमि का इस सम्बन्ध में विहित रीति से एक लिखित घोषणा द्वारा (जिसे इसमें इसके प"चात् भू–दान घोषणां कहा गया है) "भूदान यज्ञ" को संदान और अनुदान कर सकेगा ।

(2) भूदान घोषणा, इसके करने के बाद, यथाशीघ्र, बोर्ड के पास दाखिल की जाएगी :

परन्तु यदि भूदान घोषणा ने वर्णित भूमि का बाजार कीमत के आधार पर विहित रीति में संगणित मूल्य पचास हजार रुपये या उससे अधिक बनता हो, तो भूदान घोषणा को तब तक स्वीकार्य नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसी भूमि का दाता, आयकर अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि ऐसे दाता से आयकर या इसकी बकाया के रूप में, ऐसी घोषणा करने के दिन, कुछ देय नहीं था ।

(3) बोर्ड, यदि यह दान को स्वीकार्य समझता हो, तो घोषणा को उस तहसील में अधिकारिता रखने वाले राजस्व अधिकारी को भेजेगा, जिसमें भूमि स्थित है ।

(4) उप–धारा (1) में उल्लिखित घोषणा प्राप्त होने पर यदि राजस्व अधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाता है कि दाता संदान करने में सक्षम है

और भूमि में विधिमान्य हक रखता है, तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनको वह भूमि में हित रखने वाला समझता हो, विहित प्रारूप में, नोटिस में विदिर्निष्ट तारीख से पूर्व यह कारण दर्शित करने का नोटिस जारी करेगा कि दान को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

(5) राजस्व अधिकारी उप–धारा (4) में निर्दिष्ट नोटिस की प्रति अपने न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाएगा और इसे उस गांव में, जहां भूमि स्थित है, डौंडी पिटवा कर प्रकाशित करवाएगा ।

(6) सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति, नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, राजस्व अधिकारी के समक्ष यह कारण दर्शाते हुए कि दान को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, आक्षेप दाखिल कर सकेगा ।

(7) ऐसे सभी आक्षेपों की जांच और विनि"चय राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(8) यदि विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व कोई भी आक्षेप दाखिल नहीं किया जाता है, या यदि दाखिल किए गए सभी आक्षेपों को राजस्व अधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो, तो वह बोर्ड की ओर से दान को स्वीकृत करने का आदेश पारित करेगा ।

(9) दान की स्वीकृति पर, भूमि में दाता के सभी हक और हित निर्वापित हो । जाएंगे और भूमि उन्हीं अधिकारों में जिनमें यह दाता द्वारा धारित थी, बोर्ड में निहित होगी ।

(10) राजस्व अधिकारी, कार्यवाहियों के किसी स्तर पर, निम्नलिखित आधारों में से किसी पर दाता के प्रस्ताव को खारिज कर सकेगा, अर्थात् :––––

(i) कि दाता दान देने को अक्षम है ;
(ii) कि दाता का हक त्रुटिपूर्ण है ;
(iii) कि भूमि पर बिल्लंगम है ; और
(iv) ऐसे अन्य आधार, जो कि विहित किए जाएं ।

14. भूमि जिसका संदान नहीं किया जा सकेगा.– (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियन के प्रयोजनों के लिए, कोई भी स्वामी निम्नलिखित प्रकार की भूमि का संदान करने के लिए सक्षम नहीं होगा रू––

(क) चरागाह, शवदाह या कब्रस्थान भूमि, टैंक, पथ या खलिहान के रुप में अभिलिखित या प्रथा द्वारा मानी गई भूमि ; और

(ख) ऐसी अन्य भूमि जिसको राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(2) किसी जीवनपर्यन्त सम्पदा का धारक उसमें से केवल अपने आजीवन हित का ही संदान करने के लिए सक्षम होगा ।

15. इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व संदान की गई भूमि.– (1) जहां कोई भूमि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व भूदान यज्ञ के प्रयोजनों के लिए संदान की गई है वहां, बोर्ड ऐसी समस्त भूमि की एक सूची उसमें निम्नलिखित दर्शाते हुए तैयार करेगा :––

(क) क्षेत्र और विवरण ;
(ख) दाता का नाम ;
(ग) भूमि में दाता के हित की प्रकृति ;
(घ) यदि भूदान यज्ञ के अनुसरण में किसी व्यक्ति को भूमि अनुदत्त कर दी गई है तो उस व्यक्ति का नाम जिसको भूमि अनुदत्त की गई है ।
(ङ) खण्ड (घ) के अधीन अनुदान की तारीख ; और
(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित को जाएं ।

(2) इस प्रकार तैयार की गई सूची उस जिले के उपायुक्त को भेजी जाएगी जिसकी अधिकारिता में भूमि स्थित है ।

(3) ऐसी सूची प्राप्त होने पर, उपायुक्त उस सूची में वर्णित भूमि के बारे में धारा 13 के अनुसार कार्रवाई करवाएगा ।

(4) धारा 13 से 18 तक के उपबन्ध, उक्त भूमियों के समस्त संदानों के बारे में उसी प्रकार लागू होगे जैसे कि वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किए गए भूमि के समस्त संदानों के बारे में लागू होते हैं :

परन्तु जहां राजस्व अधिकारी द्वारा धारा 13 की उप–धारा (7) के अधीन आदेश किया जाए, वहां दान उसी तारीख से ही स्वीकार किया गया समझा जाएगा जिसको भूमि का संदान किया गया था और इस प्रयोजन के लिए यह अधिनियम ऐसी तारीख को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

(5) यदि कोई भूमि जिसका संदान इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्राप्त किया गया था, भूदान यज्ञ के अनुसरण में पहले ही किसी व्यक्ति को अनुदत्त कर दी गई हो, तो वह बोर्ड द्वारा ऐसे व्यक्ति को उसी तारीख से अनुदत्त की गई समझी जाएगी जिसको ऐसा व्यक्ति उसका कब्जा लेता है और अनुदान उन सभी दायित्वों के अधीन होगा जिसके अधीन बोर्ड द्वारा दिया गया अनुदान साधारणतयः होगा ।

(6) किसी विधि में प्रतिकूल उपबन्धों के होते हुए भी राज्य सरकार से सीधे भूमि धारण करने वाला अभिधारी, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि में अन्तरणीय हित का स्वामित्व रखने वाला समझा जाएगा ।

16. घोषणा का अप्रतिसंहरणीय होना.– भमि का प्रत्येक दान, जिसके बारे में धारा 13 के अधीन आदेश पारित किया जा चुका है, आदेश की तारीख के पश्चात, अप्रतिसंहरणीय होगा ।

17. बोर्ड में निहित भूमि का कुर्की योग्य न होना.– बोर्ड में निहित भूमि, बोर्ड के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्की या विक्रय के दायित्त्वाधीन नहीं होगी ।

अध्याय—4

भूमि का वितरण

18. भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का अनुदान.— बोर्ड या ऐसा अन्य प्राधिकारी अथवा व्यक्ति जिसे बोर्ड राज्य सरकार के अनुमोदन से, साधारणतया या किसी क्षेत्र के बारे में विनिर्दिष्ट करे, विहित रीति से इसमें निहित भूमि को भूमिहीन व्यक्ति को अनुदत्त करेगा और आबंटिती का ऐसी भूमि में, इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाए, कोई अधिकार नहीं होगा और न ही किसी अधिकार के लिए दावा करने का हकदार होगा :

परन्तु बोर्ड में निहित और इस धारा के अधीन वितरण के लिए विहित भूमि के पांचवें भाग से अन्यून को अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों में वितरित किया जाएगा और ऐसी भूमि के बीसवें भाग से अन्यून को अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों में वितरित किया जाएगा ।

19. भूदान यज्ञ के प्रयोजनों के लिए अनुदान, अन्तरण और आबंटन.— समस्त अनुदान, अन्तरण और आबंटन, जैसा भी मामला हो, भूदान यज्ञ के प्रयोजन के अनुसार किए जाएंगे ।

अध्याय—5

प्रकीर्ण

20. स्टाम्प—शुल्क और रजिस्ट्रीकरण से छूट.— तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, धारा 13 के अधीन स्वीकार्य दान या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किए गए या किए हुए समझे गए भूमि अनुदान को निम्नलिखित से छूट होगी और सदैव छूट समझी आएगी :

(क) स्टाम्प शुल्क के संदाय ; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण और दस्तावेजों के निष्पादन सम्बन्धी विधि के अधीन रजिस्ट्री—करण या अनुप्रमाणन ।

21. भू—राजस्व माफ करने की शक्ति.— (1) राज्य सरकार, यदि इसका समाधान हो जाता है कि बोर्ड किसी वर्ष में भूमि का अनुदान करने में समर्थ नहीं हुआ है, उस वर्ष के लिए उस भूमि पर देय भू—राजस्व या लगान माफ कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उप—धारा (1) के अधीन इसको प्रदत्त शक्तियां, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, किसी अधिकारी द्वारा, जो उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रयोग की जा सकेंगी ।

22. आबंटिती को बेदखल करने की शक्ति.— यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 18 के उपबन्धों के अधीन भूमि आबंटित की गई है, ——

(i) किन्हीं निबन्धनों और शर्तों को, जिनके अधीन आबंटन किया गया है, भंग करता है ; या

(ii) कोई ऐसी सूचना देता है जो कि मिथ्या है या वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या जिसके बारे में उसे वि"वास है कि वह सत्य नहीं है ; या

(iii) उसको आबंटित भूमि के बारे में, किसी देय को संदत्त करने में असफल रहता है ; या

(iv) ऐसी भूमि को पर्याप्त हेतुक के बिना (यदि भूमिखेती करने के प्रयोजनों के लिए आबंटित की गई हो) दो क्रमवर्ती वर्षों में खेती करने में असफल रहता है ; या

(V) आबंटन की अवधि के अवसान के पश्चात, भूमि का कब्जा, यथास्थिति, बोर्ड या ग्राम सभा को परिदत्त करने में असफल रहता है ;

तो बोर्ड आबंटन को रद्द करने के लिए विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा और तदुपरि विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात, जो यह ठीक समझे, करने और आबंटिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, आबंटन का रद्द कर सकेगा और आबंटिती या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में भूमि पाई जाए, वेदखल करने के प"चात् भूमि का कब्जा बोर्ड को प्रत्यावर्तित कर सकेगाः

परन्तु इस धारा के खण्ड (ii) के अधीन उल्लिखित आधारों पर आबंटिती की बेदखली की दशा में, ऐसा आबंटिती उसको आबंटित की गई भूमि के बारे में पचास रुपए प्रति बीघा की दर से शास्तिक लगान संदत्त करने का भी दायी होगा और ऐसा लगान भू–राजस्व की बकाया के रूप में बसूलीय होगा ।

23.नियम बनाने की शक्ति.– (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियन के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी,–––

(क) धारा 13 की उप–धारा (1) के अधीन भूमि दान की घोषणा प्रस्तुत करने के लिए घोषणा का प्ररूप विहित करना ;

(ख) धारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन व्यक्तियों से यह कारण बताने के लिए कि भूमि के दान को क्यों स्वीकार न किया जाना चाहिए, की अपेक्षा करने वाले नोटिस का प्ररूप विहित करना ;

(ग) धारा 13 की उप–धारा (10) की मद्द (i) के अधीन दान करने के प्रस्ताव को नामंजूर करने के लिए अन्य आधारों का कथन करना ;

(घ) धारा 15 की उप–धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन अन्य विशिष्टियां विहित करना ;

(ङ) धारा 30 के अधीन बोर्ड द्वारा उप–विधियां बनाने के लिए प्रक्रिया विहित करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या किया जा सकता है ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के,जिसमें यह इस प्रकार रखा गया है, या पूर्वोक्त सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान से पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु, नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

24. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.— यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई पैदा होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकेगी, (जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो) जो इसे कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

25. विधिविरुद्ध कब्जा रखने वाले व्यक्तियों की बेदखली.— धारा 22 के अधीन पारित किए गए आदेश की तारीख को भूमि पर कब्जा रखने वाला कोई व्यक्ति और कोई व्यक्ति, जो विधि के अनुसार से अन्यथा, भूदान यज्ञ के प्रयोजनों के लिए संदान में प्राप्त भूमि का कब्जा लेता है, बोर्ड या सम्बन्धित आबंटिती द्वारा राजस्व अधिकारी को आवेदन करने पर बेदखल किया जा सकेगा स ऐसी बेदखली के लिए हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) की धारा 163 के उपबन्ध लागू होंगे ।

26. धृतियों का विभाजन.— (1) यदि बोर्ड को दान की गई भूमि किसी धृति का भाग है तो बोर्ड या सम्बन्धित आबंटिती राजस्व अधिकारी को कब्जे के लिए आवेदन कर सकेगा और राजस्व अधिकारी किसी विधि में प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धृति का विभाजन और भूमि का सीमांकन कर सकेगा तथा, यथास्थिति, लगान या भू–राजस्व को प्रभाजित कर सकेगा ।

(2) यदि उप–धारा (1) के अधीन विभाजित धृति पर, यथास्थिति, लगाम या राजस्व की कोई बकाया है तो राजस्व अधिकारी, बोर्ड को दान की गई धृति के भाग पर देय बकायों के भाग को अवधारित करेगा मौर तदुपरि बोर्ड और आबंटित इस प्रकार अवधारित बकाया

के भाग को संदत्त करने के लिए दायी होंगे और हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड या आबंटिती धृति के शेष भाग के बारे में बकाया के लिए दायी नहीं होंगे ।

27. **संविदाएं करने की शक्ति.**– बोर्ड ऐसी सभी संविदाएं और उनका पालन कर सकेगा जिनको यह इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, आवश्यक या समीचीन समझे ।

28. **सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.**– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राजस्व अधिकारी या किसी प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् की गई कार्रवाई या पारित आदेश किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत नहीं होगा ।

29. **प्रक्रिया.**– इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियां, सभी प्रयोजनों के लिए, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन की कार्यवाहियां समझी जाएंगी, और उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को लागू होने वाली प्रक्रिया का राजस्व अधिकारी द्वारा अनुसरण किया जाएगा ।

30. **उप–विधियां बनाने की शक्ति.**– राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस पर इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, या उससे अनुपूरक या आनुषंगिक मामले के बारे में विनियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाई गई उप–विधियां बोर्ड द्वारा विहित रीति में प्रकाशित की जाएंगी ।

31. **निरसन और व्यावृत्तियां.**– (1) प्रथम नबम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (1955 का 2), पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोडे गए क्षेत्रों में यया प्रवृत्त दी पंजाब भूदान यज्ञ ऐक्ट, 1955 (1956 का 45) और हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अध्यादेश, 1977 (1977 का 5) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन विभाजित धृति परए यथास्थितिए लगाम या राजस्व की कोई बकाया है तो राजस्व अधिकारीए बोर्ड को दान की गई धृति के भाग पर देय बकायों के भाग को अवधारित करेगा मौर तदुपरि बोर्ड और आबंटित इस प्रकार अवधारित बकाया के भाग को संदत्त करने के लिए दायी होंगे और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियमए 1953 (1954 का 6) में किसी बात के

होते हुए भीए बोर्ड या आबंटिती धृति के शेष भाग के बारे में बकाया के लिए दायी नहीं होंगे।

27. संविदाएं करने की शक्ति,- बोर्ड ऐसी सभी संविदाएं और उनका पालन कर सकेगा जिनको यह इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिएए आवश्यक या समीचीन समझे।

28. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.- इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राजस्व अधिकारी या किसी प्राधिकारी द्वाराए इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् की गई कार्रवाई या पारित आदेश किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत नहीं होगा।

29. प्रक्रिया,- इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियांए सभी प्रयोजनों के लिएए हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियमए 1953 (1954 का 6) के अधीन की कार्यवाहियां समझी जाएंगीए और उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को लागू होने वाली प्रक्रिया का राजस्व अधिकारी द्वारा अनुसरण किया जाएगा।

30. उप-विधियां बनाने की शक्ति.- राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुएए बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वाराए इस पर इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिएए या उससे अनुपूरक या आनुषंगिक मामले के बारे में विनियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाई गई उप-विधियां बोर्ड द्वारा विहित रीति में प्रकाशित की जाएंगी।

31. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) प्रथम नबम्बरए 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियमए 1954 (1955 का 2)ए पंजाब पुनर्गठन अधिनियमए 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोडे गए क्षेत्रों में यया प्रवृत्त दी पंजाब भूदान

यज्ञ ऐक्टए 1955 (1956 का 45) और हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अध्यादेशए 1977 (1977 का 5) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निरसित अधिनियमों और अध्यादेश के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बातए कार्रवाईए परिदत्त और वितरित की गई भूमिए स्थापित किया गया बोर्डए बनाए गए नियम और जारी की गई अधिसूचनाएं उस विस्तार तक जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हैंए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गईए परिदत्तए वितरितए स्थापितए बनाए गए या जारी की गई समझी जाएंगी मानो यह अधिनियम उस दिनए अब ऐसी चीजए ऐसी कार्रवाई की गईए भूमि परिदत्तए और वितरितए बोर्ड स्थापितए नियम बनाए या अधिसूचनाएं जारी की गई गई थीए प्रवृत्त था ।